

क्रमांक 46/1/2015-5पोल  
हरियाणा सरकार  
मुख्य सचिव कार्यालय  
राजनैतिक शाखा

दिनांक 18 जून, 2018.

सेवा में

1. आयुक्त अम्बाला/ गुरुग्राम/हिसार /करनाल/फरीदाबाद एवं रोहतक मण्डल ।
2. हरियाणा राज्य के सभी उपायुक्त ।

Subject:- Celebration of 4<sup>th</sup> International Yoga Day on 21<sup>st</sup> June, 2018.

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि दिनांक 21 जून, 2018 को 'अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस' मनाया जाना है । महामहिम राज्यपाल हरियाणा, पंचकूला में मुख्य अतिथि होंगे ।

3. माननीय मुख्यमंत्री/मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण/सांसद/विधायक एवं अध्यक्ष उनके नामों के आगे लिखे स्थानों पर मुख्य अतिथि होंगे :-

Sr. No.	Name of District	Name of the Dignitary S/Sh./Smt
1.	Jhajjar	Manohar Lal Khattar, Hon'ble Chief Minister.
2.	Gurugram	Ram Bilas Sharma, EM
3.	Ambala	Anil Vij, HM
4.	Rewari	Narbir Singh, PWM
5.	Sonepat	Kavita Jain, ULBM
6.	Yamuna Nagar	Krishan Lal Pawar, TM
7.	Faridabad	Vipul Goel, IM
8.	Kurukshetra	Manish Kumar Grover, M.Coop
9.	Panipat	Krishan Kumar, MSJE
10.	Karnal	Karan Dev Kamboj, MFS
11.	Kaithal	Dr. Banwari Lal, MPHE
12.	Nuh	Nayab Singh Saini, MLE
13.	Palwal	Ramesh Kaushik, MP
14.	Bhiwani	Dharamveer, MP
15.	Rohtak	Rattan Lal Kataria, MP
16.	Jind	Subhash Barala, State BJP President
17.	Mahendergarh at Narnaul	O.P. Yadav, MLA
18.	Hisar	Dr. Kamal Gupta, MLA
19.	Charkhi Dadri	Sukhwinder, MLA
20.	Sirsa	Dr. Jagdish Chopra, Charirman, HTDC
21.	Fatehabad	Sunita Duggal, Chairperson-HSCFDC

सभी सम्बन्धित जिला उपायुक्त महानुभावों के कार्यक्रम का समय निश्चित करेंगे, उनके सम्पर्क में रहेंगे, और कार्यक्रम के सभी प्रबन्ध/सफलता सुनिश्चित करेंगे ।

उपरोक्त वर्णित कार्यक्रमों के अतिरिक्त खण्ड स्तर के कार्यक्रमों के लिये मुख्य अतिथि का निर्णय सम्बन्धित जिला उपायुक्त अपने स्तर पर करेंगे ।

भवदीय,

अधीक्षक, राजनैतिक ।

पृ० क्रमांक:- 46/1/2015-5पोल

दिनांक चण्डीगढ़ 18 जून, 2018.

इसकी एक प्रति सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

अधीक्षक, राजनैतिक ।

पृ० क्रमांक:- 46/1/2015-5पोल

दिनांक चण्डीगढ़ 18 जून, 2018.

एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :-

1. विशेष वरिष्ठ सचिव, मुख्य मंत्री, हरियाणा ।
2. विशेष वरिष्ठ/वरिष्ठ सचिव/निजी सचिव, सभी मंत्रीगण, हरियाणा सरकार ।
3. निजी सचिव/मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।
4. निजी सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, स्वास्थ्य विभाग ।
5. निजी सचिव/प्रधान सचिव, मुख्य मंत्री हरियाणा ।
6. निदेशक, सूचना लोक सम्पर्क एवं भाषा विभाग, हरियाणा ।

अधीक्षक, राजनैतिक ।